

क्रमांक: प.15 (05) वि.मा./2012/पार्ट


जयपुर, दिनांक : 11-02-2025

आदेश

विषय : **Indian Bank** को सिंगल नोडल अकाउण्ट (एस.एन.ए) हेतु अधिकृत बैंकों की सूची में सम्मिलित करने बाबत।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों के विभिन्न प्रकार के संव्यवहारों हेतु सामान्य बैंकिंग एवं सिंगल नोडल अकाउण्ट (एस.एन.ए), ई-ग्रास पर राजस्व प्राप्ति हेतु अधिकृत बैंकों की सूची जारी की गई थी।

उक्त आदेश दिनांक 20.02.2024 की निरन्तरता में सिंगल नोडल अकाउण्ट (एस.एन.ए), हेतु अधिकृत बैंकों की सूची में परिशिष्ट-‘अ’ के बिन्दु संख्या ‘ब’ के क्रम संख्या 16 पर **Indian Bank** को सम्मिलित किया जाता है।


(पवन जैमन)
संयुक्त शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उपमुख्यमंत्री (वित्त), राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/अन्य मंत्रीगण।
7. समस्त नियम अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक।
10. समस्त राजकीय संस्थाएं/निकाय/उपक्रम, राजस्थान।
11. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, राजस्थान।
13. इंडियन बैंक।

1/2

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।


11/2/2028
संयुक्त शासन सचिव

2/2